बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :–3/अ0प्र0–1–222/2013 217 /पटना, दिनांक :– 25-1-21

श्री परमानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, राजगीर के विरूद्ध हिलसा नूरसराय पथ से नदहा–नदवर ग्राम तक पथ मरम्मति (एकरारनामा संख्या–19/F2/2011-12) कार्य में संवेदक से WBM Gr-III का कार्य अतिरिक्त 275 मीटर की लम्बाई में कराने एवं इस आलोक में दायित्व सृजन से उत्पन्न रू० 1,29,713/– की वसूली के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 678 दिनांक 03.04.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री चौधरी के पत्रांक 01 दिनांक 13.04.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें मूलतः उल्लेख किया गया कि संवेदक को अतिरिक्त कार्य के लिये विभाग के किसी उच्च पदाधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया और ना ही कोई भुगतान किया गया है एवं ना ही मापी पुस्तिका में अतिरिक्त कार्य दर्ज है। इस प्रकार विभाग को किसी तरह की क्षति उनके द्वारा नहीं पहुँचाया गया है। उक्त मरम्मति कार्य से संबंधित एकरारनामा के Clause-11 के अंतिम पाराग्राफ में अंकित है कि बिना लिखित आदेश के अतिरिक्त कार्य के लिए संवेदक भुगतान के हकदार नहीं होंगे।

3. उक्त आलोक में समीक्षोपरान्त संबंधित संवेदक, श्री सुनील कुमार को निबंधित डाक के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा अतिरिक्त कार्य करने हेतु लिखित आदेश की प्रति विभागीय पत्रांक 2189 दिनांक 10.12.2020 द्वारा सात दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। पत्र तामिला के बावजूद उक्त लिखित आदेश की प्रति संवेदक द्वारा अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत् मामले की समग्र समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त स्पष्ट हुआ कि यद्यपि अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 08.01.2014 में स्थल निरीक्षण में संवेदक से WBM Gr-III का कार्य अतिरिक्त 275 मीटर की लम्बाई में कराने की पुष्टी होती है, तथापि यह भी स्पष्ट है कि संवेदक को अतिरिक्त कार्य के लिये कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया और ना ही मापी पुस्तिका में कोई मापी दर्ज किया गया और ना ही कोई भुगतान किया गया है। साथ ही उक्त कार्य के एकरारनामा में भी यह दर्ज है कि बिना लिखित आदेश के संवेदक को अतिरिक्त कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार श्री परमानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रश्नगत् आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

5. अतः उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत मामले में श्री परमानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, राजगीर के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

6. उपरोक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

25.01.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–222/2013 217 /पटना, दिनांक :– 25-1-21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री परमानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, राजगीर सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता:– C/o- श्री बी०के०झा०, जगदीशपुरी, लेन–1, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, पिन कोड–842002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.21

उप सचिव